भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:1151

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य और कृषि संगठन

1151. श्री कुरूवा गोरांतला माधव :

डॉ. संजीव कुमार शिंगरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्ष 2021 में 74.1 प्रतिशत भारतीय स्वस्थ आहार वहन करने में असमर्थ थे;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा हाल ही में पोषक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने देश में हमारे खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर के बावजूद महिलाओं में रक्ताल्पता में कमी न आने और बच्चों में कुपोषण के कारणों पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने वर्तमान में खाद्य लागत में हुई वृद्धि पर भी ध्यान दिया है जिसके परिणामस्वरूप देश में लोगों में स्वस्थ भोजन की अवहनीयता बढ़ गई है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मुद्दे से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण प्रवार)

(क) से (ड़) भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत आरएमएनसीएएच + एन कार्यनीति कार्यान्वित करती है, जिसमें देश भर में महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता और कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं। इन कार्यकलापों को नीचे दिया गया है:

1. स्तनपान कवरेज में सुधार के लिए **माताओं का पूर्णस्नेह (एमएए)** का कार्यान्वयन किया गया है, जिसमें स्तनपान की शीघ्र शुरुआत और पहले छह महीनों के लिए विशेष स्तनपान शामिल है, इसके बाद फ्रंटलाइन

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण और व्यापक आईईसी अभियानों के माध्यम से आयु-उपयुक्त पूरक आहार प्रथाओं को अपनाना शामिल है।

2. चिकित्सा जटिलताओं के साथ गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) से पीड़ित 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अंतरंग रोगी चिकित्सा और पोषण संबंधी परिचर्या प्रदान करने के लिए जन स्वास्थ्य सुविधाओं में **पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी)** स्थापित किए जाते हैं। रोगनाशक परिचर्या के अतिरिक्त, बच्चों को समय पर, पर्याप्त और समुचित आहार देने, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों को दूर करने, उनकी आयु के अनुरूप संपूर्ण परिचर्या और आहार पद्धतियों के संबंध में माता और परिचर्या करने वालों के कौशल में सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है और माताओं को बच्चों में पोषण एवं स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करने के लिए परामर्श संबंधी सहायता प्रदान की जाती है।

3. **रक्ताल्पता मुक्त भारत (एएमबी**) कार्यक्रम को छह आयु वर्ग के लाभार्थी बच्चों (6-59 माह), (5-9 वर्ष), किशोरों (10-19 वर्ष), गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और प्रजनन आयु वर्ग (15-49 वर्ष) की महिलाओं में रक्ताल्पता को कम करने के लिए कार्यान्वित किया गया है। रक्ताल्पता की समस्या का समाधान करने के लिए उठाए गए उपाय इस प्रकार हैं:

i. सभी छह लक्षित आयु समूहों में रोगनिरोधी आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण।

ii. निम्नलिखित के लिए वर्षभर चलने वाला गहन व्यवहार परिवर्तन (बीसीसी) अभियान: (क) आयरन फोलिक एसिड संपूरण और कृमि नाशक के अनुपालन में सुधार करना, (ख) शिशुओं और छोटे बच्चों की आहार पद्धतियों को बढ़ाना, (ग) स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आहार विविधता के माध्यम से लौह युक्त भोजन के सेवन में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, और (घ) स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में प्रसव के बाद विलंबित कॉर्ड क्लैंपिंग सुनिश्चित करना।

iii. गर्भवती महिलाओं और स्कूल जाने वाले किशोरों पर विशेष ध्यान देने के साथ डिजिटल तरीकों और परिचर्या उपचार के बिंदु का उपयोग करके परीक्षण।

iv. मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक क्षेत्रों में एनीमिया के गैर-पोषण संबंधी कारणों को संबोधित करना।

v. उच्च प्राथमिकता वाले जिलों (एचपीडी) में गंभीर रक्ताल्पता से ग्रस्त गर्भवती महिलाओं की पहचान करने और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एएनएम को प्रोत्साहन प्रदान करना।

vi. आयरन सुक्रोज/रक्त आधान देकर गर्भवती महिलाओं में गंभीर रक्ताल्पता का प्रबंधन।

vii. सामुदायिक संघटन कार्यकलापों और आईईसी एवं बीसीसी कार्यकलापों के माध्यम से आशाकर्मी द्वारा जागरूकता।

viii. कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए अन्य लाइन विभागों और मंत्रालयों के साथ अभिसरण और समन्वय।

4. राष्ट्रीय कृमि **मुक्ति दिवस (एनडीडी)** के तहत, सभी बच्चों और किशोरों (1-19 वर्ष) के बीच मिट्टी से संचारित कृमि संक्रमण को कम करने के लिए दो दौरों (फरवरी और अगस्त) में स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से एक निश्चित दिन में एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाती हैं।

5. **मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) आईसीडीएस** के अभिसरण में पोषण सहित मातृ एवं शिशु परिचर्या के प्रावधान के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों में एक आउटरीच कार्यकलाप है।

6. **एमसीपी कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका** गर्भवती महिलाओं को आहार, आराम, गर्भावस्था के खतरे के लक्षणों, लाभ योजनाओं और संस्थागत प्रसव के बारे में शिक्षित करने के लिए वितरित की जाती है।

जैसा कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा सूचना दी गई है, सरकार ने पोषक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की है, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013, जो 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी तक कवरेज के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत अत्यधिक सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करती है और प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत, 1 जनवरी 2024 से पांच साल की अवधि के लिए अंत्योदय अन्न योजना घरों और प्राथमिकता वाले परिवारों के 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।

जैसा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सूचना दी गई है, कृषि विज्ञान केंद्र योजना के तहत, 30310 खेतीहर परिवारों ने 16681 न्यूट्री-गार्डन स्थापित किए गए हैं और इसमें स्वास्थ्य और पोषण साक्षरता पर जागरूकता कार्यकलाप आयोजित की जाती हैं।

जैसा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सूचना दी गई है, मिशन पोषण 2.0 के तहत, पूरक पोषण कार्यक्रम 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, किशोर लड़कियों (14-18 वर्ष), एनएफएसए अधिनियम 2013 के अनुसूची II के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण मानदंडों के अनुसार पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है।
इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय के तहत प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) एनएफएसए अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत पोषण मानदंडों के अनुसार सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बालवाटिका (स्कूल-पूर्व) से आठवीं कक्षा तक स्कूल जाने वाले बच्चों को एकबार गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करता है।
भारत सरकार घरेलू उपलब्धता और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए अनेक उपाय करती हैं।

*****